न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी प्र.सं. 15/2023 जीसीएमएस नं. : 2023/150 रामप्रताप शर्मा बनाम भूपेन्द्र सिंह आदि अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1 से 3

13.08.2024

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से ग्राम पंचायत 29 जीबी के प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 15.06.1998 के द्वारा जारी पट्टा सं. 24 पुस्तक सं. 60, 50 गुणा 50 कुल 2500 वर्गफुट पट्टा दिनांक 15.06.1998 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्र. सं. 62/23) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की गयी।

आज दिनांक 13.08.2024 को निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता सं. 1 से 3 स्वयं मय अधिवक्तागण उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 24 पुस्तक सं. 60 जरिए प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 15.06.1998 चक 29 जीबीए मु.नं. 185/408 के प्लाट सं. 125 हिस्सा 50 गुणा 50 कुल 2500 वर्गफुट को निरस्त करने के लिए निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया गया कि गैर निगरानीकर्ता सं. 7 द्वारा प्लाट निगरानीकर्ता को विक्रय कर दिया गया हैं जिसके कारण अब उनका कोई हित निहित नहीं हैं। प्रश्नगत पट्टा गैर निगरानीकर्ता सं. 1 के नाम से हैं। जिसके बैयनामा द्वारा विक्रय अप्रार्थी सं. 2 व 3 को किया जा चुका हैं। अब निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता सं. 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो चुका हैं। राजीनामा अनुसार निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता सं. 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो गया हैं तथा राजीनामा अनुसार निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 29 जीबी द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा सं. 24 पुस्तक सं. 60 बहक भूपेन्द्र सिंह मु.नं. 185/408 भूखण्ड सं. 125 साईज 25 गुणा 25 कुल 2500 वर्गफुट दिनांक 15.06.1998 को निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़